जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–22.11..2014 को समाहरणालय स्थित डॉ0, राधाकृष्णन भवन, मोतिहारी में आयोजित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

(जिला प्रोग्राम शाखा)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई एवं निम्न निदेश दिए गए :–

1.0 उपस्थिति

पंजी अनुसार।

1.01 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तुरकौलिया की अनधिकृत उपस्थिति के कारण उनके एक दिन के वेतन की कटौती करने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 को दिया गया।

1.02 अगली बैठक से बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं की उपस्थिति अलग–अलग दर्ज करा कर अनुपस्थित पदाधिकारियों का आँकड़ा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / कोषागार पदाधिकारी)

2.0 मुख्यालय में उपस्थिति :–

2.01 निदेश दिया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 अगले तीन दिनों के अन्दर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से उनके क्षेत्रान्तर्गत मुख्यालय में उपस्थित रहने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों / महिला पर्यवेक्षिकाओं की सूची प्राप्त करेंगे। अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों / महिला पर्यवेक्षिकाओं के वेतन / मानदेय का भुगतान अगले माह से नही किया जायगा।

2.02 सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक–27.11.2014 को स्वयं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से सम्पर्क कर Under taking के साथ अपने मुख्यालय में निवास स्थान की विवरणी लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया।

(अनुपालन :–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका)

3.0

3.01 जो प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने मूल दायित्व के अतिरिक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाय।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0)

4.0 सेविकाओं / सहायिकाओं की नियुक्ति:–

4.01 निदेश दिया गया कि जहाँ सेविकाओं / सहायिकाओं की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ दिनांक–26.11.2014 को संबंधित मेन्टर उपस्थित रहकर मेधा सूची की प्रारम्भिक जाँच करेंगे। उक्त तिथि को सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मेधा सूची के साथ अपन–अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगी।

4.02 मेंटर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 अपने भ्रमण का रोस्टर निर्धारित करेंगे, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित रहेंगी। उक्त तिथि को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उपस्थित रह कर आवेदन पत्रों का निराकरण करेंगे। यह प्रक्रिया अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगी।

4.03 उप विकास आयुक्त मेन्टर की बैठक आयोजित कर इस संबंध में उन्हें निदेशित करेंगे।

4.04 सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (ढाका और कल्याणपुर को छोड़कर) यह सुनिश्चित करेंगी कि दिनांक–15.12.2014 तक शत प्रतिशत आँगनबाड़ी सेविकाओं / सहायिकाओं की नियुक्ति पूर्ण हो जाए। ढाका और कल्याणपुर के लिए यह तिथि 30.12.2014 होगी। इस तिथि के बाद जहाँ नियुक्ति लंबित रहेगी, वहाँ के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' गठित कर विभागीय कार्रवाई हेतु आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जायगा।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / सभी मेन्टर्स / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका)

5.0 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पोषाहार का वितरण

5.01 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक सर्वे का शत प्रतिशत सत्यापन महिला पर्यवेक्षिका से कराएँ एवं दिनांक–10.12.2014 को पूरे जिले में ग्राम–पंचायत की बैठक आयोजित कर सत्यापित सूची को अनुमोदित करावें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

6.0 भवन निर्माण

6.01 सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दिनांक–03.12.2014 तक सभी पूर्ण भवनों का हस्तान्तरण सुनिश्चित कराते हुए उसका दखल (Possession) प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगी। यदि किसी भवन के निर्माण कार्य में कोई त्रुटि हो तो उसकी लिखित सूचना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को ससमय दे दें।

6.02 उप विकास आयुक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के समीक्षात्मक बैठक में भवनों के हस्तान्तरण की समीक्षा करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

7.0 महिला पर्यवेक्षिकाओं का अवधि विस्तार

7.01 दस दिनों के अन्दर महिला पर्यवेक्षिकाओं का अवधि विस्तार कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। अवधि विस्तार के 10 दिनों के अन्दर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मानदेय एवं यात्रा भता का भुगतान किया जायगा।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

8.0 एम0जे0सी0 वाद

8.01 सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को प्रतिनियुक्त कर शत प्रतिशत लंबित मामलों का ATR के साथ दिनांक–10.12.2014 को जिला मुख्यालय में भेजें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

9.0 Immunization

9.01 सर्वे कराकर प्रत्येक माह शत प्रतिशत immunization कराने का लक्ष्य सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को देते हुए प्रति सप्ताह कम–से–कम 25 प्रतिशत केन्द्रों पर शत–प्रतिशत Immunization कराने का निदेश दिया गया।

9.02 Immunization हेतु निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं समीक्षा की जाएगी तथा अच्छा कार्य करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा । जिस परियोजना की सभी महिला पर्यवेक्षिकायें पुरस्कृत हो जाएंगी उसके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी पुरस्कृत किया जायगा।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 3566 /, मोतिहारी, दिनांक– 19 वीं ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका/सभी मेन्टर पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं ई–मेल भेजने तथा बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/12

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।